संख्या 03/2018/3308/60-2-18-2/3(27)/05

प्रेषक,

सचिव,
बाल विकास एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 दिनांकः 02 जनवरी, 2018

विषयः प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु ''कुपोषण-मुक्त गांव'' बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः सी-888/रा0पो0मि0/2017-18 दिनांक 27.06.2017 तद्क्रम में संशोधित शासनादेश संख्या 43/2017/2742/60-2-17-2/3(27)/05 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त जारी शासनादेश में विभागवार निर्धारित लक्ष्य के क्रम में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 ने निम्नवत् अवगत कराते हुए विभाग हेतु निर्धारित-03 लक्ष्यों को संशोधित कर 90% किये जाने का अनुरोध किया गया हैः

1. आई0सी0डी0एस0 हेतु निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत 100 प्रतिशत लक्ष्य की उपलब्धि कर पाने में कठिनाई है क्योंकि व्यवहारिक तौर पर यह पाया गया है कि गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान कई बार अपने गांव से अन्यत्र चली जाती हैं तथा कुछ समय पश्चात् लौटती हैं। अतः आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत ऐसी गर्भवती महिलाएं हर माह कम से कम तीन पैकेट पोषाहार प्राप्त करने से वंचित रहती हैं।
2. उक्तानुसार व्यहारिक रूप से 6 माह से 3 वर्ष के लाभार्थी परिवार खेती आदि के सीजन में कुछ दिनों के लिए कार्य हेतु अन्यत्र चले जाते हैं। इस दशा में ऐसे परिवारों के बच्चे न्यूनतम पोषाहार से वंचित रह जाते हैं। अतः क्रमांक-2 के लक्ष्य की 100 प्रतिशत उपलब्धता सम्भव नहीं है।
3. क्रमांक-3 पर निर्धारित लक्ष्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अति कुपोषित बच्चों के परिवारों के गांवों से बाहर जाने या आकस्मिक परिस्थितियों में बाहर चले जाने से 0-5 वर्ष आयु के अतिकुपोषित बच्चों के परिवार का आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा हर माह कम से 01 गृह भ्रमण सम्भव नहीं है, जिससे 100 प्रतिशत लक्ष्य की उपलब्धि कर पाने में कठिनाई है।

निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 द्वारा अवगत करायी गयी उक्त स्थिति के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त आई0सी0डी0एस0 विभाग के लक्ष्य संशोधित कर निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैंः

क्र०सं०	मानक	विभाग	लक्ष्य	Weight	Total Weight
	आई0सी0डी0एस0				
1	आंगनबाड़ी केन्द्र पर निर्धारित मात्रा में मासिक अनुपूरक पोषाहार पाने वाली पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत	आई0सी0डी0एस0	90%	5	25
2	आंगनबाड़ी केन्द्र पर निर्धारित मात्रा में मासिक अनुपूरक पोषाहार पाने वाले 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों का प्रतिशत	आई0सी0डी0एस0	90%	10	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	05 वर्ष से कम आयु के अतिकुपोषित बच्चों के परिवारों का आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा हर माह कम से कम एक गृह भ्रमण	आई0सी0डी0एस0	90%	10	

4. शासनादेश संख्या 43/2017/2742/60-2-17-2/3(27)/05 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

अतः कुपोषण मुक्त गांव बनाने के लिए विभागों हेतु निर्धारित लक्ष्य में आई0सी0डी0एस0 विभाग का लक्ष्य इस स्थिति तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः03/2018/3308(1)/60-2-18-2/3(27)/05दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायतीराज, बेसिक शिक्षा, खाद्य, ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, उ0प्र0।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
8. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
9. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
10. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
11. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
14. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।
15. समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी, उ0प्र0।
16. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
17. राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ/एन0आई0।
18. गार्ड फाइल।

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।